छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा निर्देश

2013

विषय–सूची

	शब्दावली	4
1.	प्रस्तावना	5
2.	संस्थागत संरचना	5
3.	प्रयोज्यता	5
4.	परियोजना की पहचान	5
5.	अन्तर विभागीय विचार–विमर्श	6
6.	सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति का 'सिद्धांततः' अनुमोदन	6
7.	रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)	7
8.	परियोजना दस्तावेज तैयार करना	7
9.	सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) मूल्यांकन/अनुमोदन	7
10.	बोलियां (Bids) आमंत्रित करना	8
11.	निर्धारित समय–सीमा	8
12.	उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट	9

अनुबंध–1 संस्थागत संरचना 10

अनुबंध–2 सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन ('सिद्धांततः' अनुमोदन हेतु) 11

परिशिष्ट–क प्रस्तावित अनुदान करार (Concession Agreement) का मियाद पत्रक (Term Sheet) 13

अनुबंध–3 सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन 15

परिषिष्ट क – अनुदान करार (Concession Agreement) का संक्षिप्त विवरण 17

अनुबंध–4 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित समय 19

शब्दावली

बीओएलटी	बनाओ, चलाओ, पट्टे पर दो, अंतरण करो
बीओओटी	बनाओ, चलाओ, स्वामित्व रखो, अन्तरण करो
बीओटी	बनाओ, चलाओ, अन्तरण करो
पीपीएसी	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
जीओसीजी	छत्तीसगढ़ शासन
जीओआई	भारत सरकार
आईआरआर	आंतरिक लाभ दर
एमसीए	मॉडल अनुदान करार
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
आरएफपी	प्रस्तावों के लिए अनुरोध
आरएफक्यू	अर्हता के लिए अनुरोध
एसपीएसयु	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
राज्य	छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिषा निर्देष

1. प्रस्तावना

1.1 छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वजनिक निजी भागीदारी से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार विनिर्दिष्ट की है।

2. संस्थागत संरचना

2.1 मूल्यांकन/अनुमोदन पद्धति की संस्थागत सरंचना अनुबंध–1 में विनिर्दिष्ट है।

3. प्रयोज्यता(Applicability)

3.1 ये दिशा निर्देश राज्य शासन के विभागों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक प्राधिकरणों अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

3.2 यहां निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया राज्य शासन की सभी पीपीपी परियोजनाओं पर लागू होगी जिनका उल्लेख बिंदु क्रमांक 3.1 मे किया गया है। पीपीपी पहल का क्षेत्र राज्य की पीपीपी पालिसी के अनुसार होगा।

4. परियोजना की पहचान(Project Identification)

4.1 प्रषासकीय/प्रायोजक विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करेंगे और विधिक, वित्तीय तथा तकनीकी विशेषज्ञों, जैसी भी आवश्यकता होगी, की सहायता से संभाव्यता अध्ययन, परियोजना करार आदि तैयार करने का कार्य करेंगे।

5. अन्तर विभागीय विचार विमर्श

5.1 प्रशासकीय / प्रायोजक विभाग यदि आवश्यक समझे, परियोजना के ब्यौरे और अनुदान करार की षर्तो को अंतर्विभागीय विचार–विमर्ष समिति जैसे–वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और टिप्पणियों को, यदि कोई हों, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्ताव में शामिल अथवा उसके साथ संलग्न कर सकता है।

5.2 ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती हैं जिनमें एक से अधिक विभाग/ईकाई शामिल हों। ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय पीपीपीएसी यदि चाहे तो इन विभागों ईकाईओं से परामर्ष में भाग लेने हेतु कह सकती है।

6. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति का 'सिद्धांततः' अनुमोदन

6.1 सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की 'सिंद्धांततः' स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध करते समय, प्रशासकीय विभाग अनुबंध–।। में विनिर्दिष्ट–प्रपत्र में अपना प्रस्ताव पीपीपीएसी के सभी सदस्यों को प्रेषित करेगा और इसके साथ पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता रिपोर्ट तथा प्रस्तावित परियोजना करारों की विशेषताओं से युक्त एक शर्त पत्र (term sheet) संलग्न करेगा।

6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक तीन सप्ताह के अंदर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सिंद्धाततः अनुमोदन पर विचार करने के लिए आयोजित की जायेगी।

6.3 यदि पीपीपी परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल अनुदान करार पर आधारित हो तो पीपीपीएसी के सिद्धांततः अनुमोदन की आवष्यकता नहीं होगी। इस तरह की परियोजनाओं में पीपीपीएसी का अनुमोदन वित्तीय बोली आमंत्रित करने से पूर्व लिया जाना आवष्यक होगा जिसका विवरण आगे की कंडिकाओं में दिया गया है।

7. रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

7.1 प्रशासकीय विभाग पीपीपीएसी की सिद्धांततः स्वीकृति के पश्चात् रुचि की अभिव्यक्तियों (expressions of interest)के रुप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल दस्तावेज के प्रारुप अनुसार Request for Qualifications (RFQ), आंमत्रित करेगा जिसके बाद पूर्व–अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं का चयन किया जायेगा।

8. परियोजना दस्तावेज तैयार करना

8.1 परियोजना हेतु तैयार किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में कंसेशनेयर (Concessionaire) के साथ किए जाने वाले करार में, अन्य बातों के साथ, रियायत की शर्ते और विभिन्न पक्षों के अधिकार एवं दायित्व भी शामिल होंगें। परियोजना के दस्तावेज, परियोजना के क्षेत्र तथा स्वरुप के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकते है। सामान्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी के अतंर्गत किये गये अनुदान करार में, निजी पक्षकार को प्रदान की जाने वाली अनुदान की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा जिसमें सभी पक्षों के अधिकार और दायित्व सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अन्य संबंधित करार किए जा सकेंगे।

9. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) का मूल्यांकन/अनुमोदन

9.1 प्रस्तावों के लिए अनुरोध (रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल–आर.एफ.पी.) दस्तावेज, अर्थात् वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण, के साथ सामान्यतः सफल बोलीदाता बीडर के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित सभी अनुबंधों की एक–एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए। प्रस्तावों के लिए अनुरोध का प्रारूप तैयार करने के पश्चात्, प्रशासकीय/प्रायोजक विभाग वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति की स्वीकृति के लिए अनुरोध करेगा।

9.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–III के अनुसार, समस्त ड्राफ्ट परियोजना दस्तावेज तथा परियोजना प्रतिवेदन के साथ, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

9.3 सभी सदस्य विभाग अपने क्षेत्र के अनुसार परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगें तथा अपना अभिमत प्रषासकीय विभाग को प्रेषित करेंगें। अन्य विभाग या ईकाई जो इसमें शामिल हो वे भी लिखित में अपनी टिप्पणी निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रषासकीय विभाग को प्रेषित करेंगें। प्रषासकीय विभाग सभी टिप्पणियों पर लिखित में अपना अभिमत देंगें।

9.4 पीपीपीएसी ज्ञापन सहित अनुदान करार तथा अन्य संबंधित अनुबंध दस्तावेज जिसमें पीपीपीएसी ज्ञापन (जिसमें सभी टिप्पणियों पर बिंदुवार उत्तर का समावेष होगा।) पीपीपीएसी के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। पीपीपीएसी प्रस्तुत की गई मूल्यांकन टिप्पणी तथा विभिन्न विभागों की टिप्पणियों और उन पर प्रशासकीय विभाग के अभिमत पर विचार करेगी।

9.5 पीपीपीएसी समिति या तो प्रस्ताव (को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी अथवा प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन कर पीपीपीएसी के समक्ष विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

9.6 पीपीपीएसी की स्वीकृति मिल जाने पर परियोजना को सक्षम प्राधिकारी के अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी उसी स्तर का होगा जिसे संबंधित विभाग में प्रषासकीय अनुमोदन का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो।

10. बोलियां आमंत्रित करना (Invitation of Bids)

10.1 सक्षम प्राधिकारी का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकेंगी। तथापि यदि प्रषासकीय विभाग को पीपीपीएसी की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की प्रत्याषा में वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकेंगी।

11. निर्धारित समय–सीमा

11.1 उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन की निर्धारित समय सीमा अनुबंध 4 में दी गई है।

12. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट

12.1 ऐसे प्रोक्योरमेंट जिनकी विषय वस्तु संवेदनषील प्रकृति की हो तथा जिसके प्रकटीकरण से राज्य की आतंरिक सुरक्षा पर जोखिम की सम्भावना हो तथा जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन ने विषेष आदेष द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट प्रदान किया हो, को तद्नुसार इस दिशा निर्देश के प्रावधान से छूट उपलब्ध होगी।

अनुबंध–1
संस्थागत संरचना
सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति

1. छ.ग. सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक निजी भागीदारी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :–
   - i. मुख्य सचिव – अध्यक्ष
   - ii. अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव, वित्त एवं योजना विभाग – सदस्य
   - iii. प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग – सदस्य
   - iv. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग – सदस्य
   - v. प्रमुख सचिव/सचिव संबंधित विभाग – सदस्य सचिव
   - vi. संबंधित क्षेत्र के एक विषेषज्ञ – आमंत्रित सदस्य

   समिति आवष्यकतानुसार अतिरिक्त विषेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

2. समिति को सचिवालयीन सेवायें संबंधित प्रषासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. वित्त विभाग अनुदान करारो के वित्तीय पक्षों का परीक्षण कर अपना अभिमत देगा तथा परियोजना संबंधित गांरटी के संबंध में निर्णय लेगा एवं निवेष एवं बैकिंग के परिप्रेक्ष्य से जोखिम के आंबटन का आंकलन करेगा। वित्त विभाग यह भी सुनिष्चित करेगा कि परियोजना का परीक्षण शासन पर होने वाले व्यय भार के परिप्रेक्ष्य से किया जाये।

4. राज्य योजना आयोग पीपीपीएसी के लिए मूल्यांकन नोट तैयार करेगा जिसमें विषेष रुप से अनुदान करार के शर्तो को, जहां भी संभव हो, बेहतर बनाने के सुझावों को सम्मिलित किया जायेगा।

5. विधि एवं विधायी विभाग का प्रतिनिधित्व पीपीपी मूल्यांकन समिति में किया जायेगा जिससे अनुदान करार के प्रावधानों की विस्तृत एवं सूक्ष्म विधिक समीक्षा की जा सकेगी।

अनुबंध–2

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन 'सिद्धांततः' अनुमोदन हेतु

क्र0सं0	मद	विवरण

1. **सामान्य**
1.1 परियोजना का नाम
1.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)
1.3 स्थान (जिला कस्बा)
1.4 प्रशासकीय विभाग / निकाय
1.5 प्रायोजक प्राधिकरण / निकाय का नाम
1.6 कार्यान्वयन एजेंसी / निकाय का नाम

2. **परियोजना विवरण**
2.1 परियोजना का संक्षिप्त विवरण
2.2 परियोजना का औचित्य
2.3 संभावित विकल्प, यदि कोई हो
2.4 अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत् अलग अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का भी उल्लेख करें।
2.5 कितने चरणों में निवेश करना है
2.6 परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची

3. **वित्त पोषण की व्यवस्था**
3.1 वित्त पोषण के स्त्रोत (इक्विटी, ऋण, वी.जी.एफ. आदि)
3.2 परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। इस हेतु किन धारणाओं पर विचार किया गया है को भी निर्दिष्ट करें।
3.3 12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं
3.4 टैरिफ / प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा ? कृपया विस्तारपूर्वक बताएं
3.5 क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें
3.6 छत्तीसगढ़ शासन से सहायता / फंडिग यदि आवश्यक हो तो उसकी राशि के साथ विवरण प्रस्तुत करें

4. आंतरिक लाभ दर (Internal Rate of Return - IRR)

4.1 आर्थिक आंतरिक लाभ दर (Economic IRR)
(यदि गणना की गई है)

4.2 वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो तो पृथक पत्रक संलग्न करें)

5. स्वीकृतियां

5.1 पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति

5.2 भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन और स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियां

5.3 परियोजना के लिए आवश्यक अन्य वैधानिक स्वीकृति/अनुमोदन

5.4 Viability Gap Funding, यदि प्रस्तावित करने की आवष्यकता हो

5.5 गारंटी यदि आवष्यक हो

5.6 छत्तीसगढ़ शासन से आवष्यक अन्य सहायता

6. भारत सरकार से प्रस्तावित सहायता

6.1 भारत सरकार से प्रस्तावित सहायता/स्वीकृति

7. अनुदान करार

7.1 प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक
(परिशिष्ट–'क' में संलग्न)

8. शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया

8.1 **शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया** निर्दिष्ट करें
(यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)

9. अन्य

9.1 अभ्युक्तियां, यदि कोई है

परिशिष्ट–क

प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक

क. प्रायोजक विभाग	ग. कानूनी सलाहकार
ख. परियोजना का नाम और स्थान	घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	विवरण

1. सामान्य

1.1 परियोजना का स्कोप
(कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)

1.2 प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति

1.3 अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य

1.4 अनुमानित पूंजी लागत

1.5 संभावित निर्माण अवधि

1.6 परिचालन, प्रबंधन एवं रख–रखाव पर लागत, यदि लागू हो

1.7 अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें
यदि कोई हों

1.8 भूमि अधिग्रहण की स्थिति, यदि भूमि संपत्ति परियोजना पर लागू हो

2. निर्माण एवं परिचालन तथा रख–रखाव

2.1 निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए
कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर विचाराधीन है

2.2 परिचालन की अवधि में निष्पादन के न्यूनतम मानक

2.3 परिचालन तथा रख–रखाव संबंधी न्यूनतम मानक यदि लागू हो

2.4 कार्य निष्पादन/मानकों का उल्लंघन किए जाने पर पेनाल्टी

2.5 सुरक्षा संबंधी प्रावधान

2.6 पर्यावरण संबंधी प्रावधान

3. वित्तीय

3.1 वित्तीय समापन (Financial Closure) के लिए अधिकतम अवधि

3.2 विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा

3.3 बोली मापदण्ड (यदि पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य समरूप मापदण्ड से संबंधित हो तो उनका औचित्य)

3.4 स्कोप में परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान

3.5 अनुदानग्राही द्वारा देय अनुदान शुल्क तथा इस हेतु निर्धारित माइल्स स्टोन एवं भुगतान के अतंराल यदि कोई हो

3.6 अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क यदि कोई हो

3.7 उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा,
प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति

3.8 अल्प राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए
प्रावधान, यदि कोई हो

3.9 एस्क्रो एकांउट के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो

3.10 बीमा के संबंध में प्रावधान

3.11 दावों की लेखा–परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान

3.12 ऋणदाताओं के कार्य/अधिकार स्थानापन्न (subsituion) संबंधी प्रावधान

3.13 कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान

3.14 समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान, यदि कोई हो

3.15 शासन की कंटीजेंट देयताएं
(क) निरस्तीकरण पर अधिकतम भुगतान शासन प्राधिकरण/निकाय की चूक पर
(ख) निरस्तीकरण पर अधिकतम भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता की चूक पर
(ग) करार के अनुसार किसी अन्य प्रकार के पेनाल्टी जैसे– अर्थदंड, क्षतिपूर्ति या भुगतान की जानकारी

4 अन्य

4.1 अन्य प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो

4.2 प्रस्तावित विवाद निस्तारण तंत्र का विवरण दें

4.3 संबंधित कानून और अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

4.4 अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों

अनुबंध 3

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन

अंतिम अनुमोदन हेतु

क्र0सं0	मद	विवरण

1. सामान्य

1.1 परियोजना का नाम

1.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रकार
(बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)

1.3 स्थान (जिला/कस्बा)

1.4 प्रशासकीय विभाग

1.5 प्रायोजक प्राधिकरण / विभाग / निकाय का नाम

2. कार्यान्वयन एजेंसी / निकाय का नाम

2.1 परियोजना विवरण

2.2 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

2.3 परियोजना का औचित्य

2.4 संभावित विकल्प, यदि कोई हो
अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय
शीर्षों के अंतर्गत् अलग–अलग विवरण।

2.5 लागत

2.6 अनुमान के आधार का उल्लेख करें

3. वित्त पोषण की व्यवस्था

3.1 वित्त पोषण के स्त्रोत (इक्विटी, ऋण, वी.जी.एफ. आदि)

3.2 परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। इस हेतु किन धारणाओं पर विचार किया गया है को भी निर्दिष्ट करें।

3.3 12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं

3.4 टैरिफ / प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा ? कृपया विस्तारपूर्वक बताएं

3.5 क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो
इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें

3.6 छत्तीसगढ़ शासन से सहायता / फंडिग यदि आवश्यक हो तो उसकी राशि के साथ विवरण प्रस्तुत करें

4. आंतरिक लाभ दर (Internal Rate of Return - IRR)

4.1 आर्थिक आंतरिक लाभ दर (Economic IRR)
(यदि गणना की गई है)

4.2 वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो तो पृथक पत्रक संलग्न करें)

5. स्वीकृतियां

5.1 पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति

5.2 भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन और स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियां

5.3 परियोजना के लिए आवश्यक अन्य वैधानिक स्वीकृति/अनुमोदन

5.4 Viability Gap Funding, यदि प्रस्तावित करने की आवष्यकता हो

5.5 गांरटी यदि आवष्यक हो

5.6 छत्तीसगढ़ शासन से आवष्यक अन्य सहायता

6. भारत सरकार से प्रस्तावित सहायता

6.1 भारत सरकार से प्रस्तावित सहायता/स्वीकृति

7. अनुदान करार

7.1. क्या अनुदान करार एमसीए पर आधारित है? यदि हां, तो विस्तृत टिप्पणी में यदि कोई अंतर हो का उल्लेख करें (संलग्न किया जाए)

7.2 अनुदान करार का ब्यौरा (परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न)

8. शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया

8.1 **शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया** निर्दिष्ट करें
(यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)

9. अन्य

9.1 अभ्युक्तियां, यदि कोई है

<u>परिशिष्ट–क</u>

प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक

क. प्रायोजक विभाग — ग. कानूनी सलाहकार

ख. परियोजना का नाम और स्थान — घ. वित्त सहालकार

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण

1. सामान्य

1.1 परियोजना का स्कोप
(कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)

1.2 प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति

1.3 अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य

1.4 अनुमानित पूंजी लागत

1.5 संभावित निर्माण अवधि

1.6 परिचालन, प्रबंधन एवं रख–रखाव पर लागत, यदि लागू हो

1.7 अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें,
यदि कोई हों।

1.8 भूमि अधिग्रहण की स्थिति

2. निर्माण और संगठन एवं पद्धति

2.1 निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए
कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर विचाराधीन है

2.2 परिचालन की अवधि में निष्पादन के न्यूनतम मानक

2.3 परिचालन तथा रख–रखाव संबंधी न्यूनतम मानक यदि लागू हो

2.4 कार्य निष्पादन/मानकों का उल्लंघन किए जाने पर पेनाल्टी

2.5 सुरक्षा संबंधी प्रावधान

2.6 पर्यावरण संबंधी प्रावधान

3. वित्तीय

3.1 वित्तीय समापन (Financial Closure) के लिए अधिकतम अवधि

3.2 विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा

3.3 बोली मापदण्ड (यदि पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य समरूप मापदण्ड से संबंधित हो तो उनका औचित्य)

3.4 स्कोप में परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान

3.5 अनुदानग्राही द्वारा देय अनुदान शुल्क तथा इस हेतु निर्धारित माइल्स स्टोन एवं भुगतान के अतंराल यदि कोई हो

3.6 अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क यदि कोई हो

3.7 उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा,
प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति

3.8 अल्प राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए
प्रावधान, यदि कोई हो

3.9 एस्क्रो एकांउट के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो

3.10 बीमा के संबंध में प्रावधान

3.11 दावों की लेखा–परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान

3.12 ऋणदाताओं के कार्य/अधिकार स्थानापन्न (subsituion) संबंधी प्रावधान

3.13 कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान

3.14 समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान, यदि कोई हो

3.15 शासन की कंटीजेंट देयताएं

(क) निरस्तीकरण पर अधिकतम भुगतान शासन प्राधिकरण/निकाय की चूक पर

(ख) निरस्तीकरण पर अधिकतम भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता की चूक पर

(ग) करार के अनुसार किसी अन्य प्रकार के पेनाल्टी जैसे– अर्थदंड, क्षतिपूर्ति या भुगतान की जानकारी

4 अन्य

4.1 अन्य प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो

4.2 प्रस्तावित विवाद निस्तारण तंत्र का विवरण दें

4.3 संबंधित कानून और अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

4.4 अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों

अनुबंध 4

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के अतंर्गत आने वाले प्रक्रियाओं हेतु अपेक्षित समय–सीमा

क्र0सं0	कार्रवाही	कितना समय लगा
1.	सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन	प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय से तीन सप्ताह।
2.	प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम दस्तावेजों पर राज्य योजना आयोग, वित्त विभाग अथवा किसी अन्य विभाग की टिप्पणियां	प्रशासकीय विभाग द्वारा अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत करने समय से चार सप्ताह।
3.	सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन	प्रशासकीय विभाग द्वारा अंतिम दस्तावेज सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति संबंधी ज्ञापन प्रस्तुत करने से तीन सप्ताह